(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–I, खंड (I) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन

सार्वजनिक सूचना सं० 67/2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः– 22 मार्च, 2018

विषयः विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईजेड) से निर्यात हेतु भारत से व्यापारिक वस्तुओं की निर्यात स्कीम (एमईआईएस) संबंधी आवेदनों की प्रोसेसिंग।

विदेश व्यापार नीति 2015–20 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा व्यापार करने की सुगमता में सुधार लाने, प्रक्रियाओं को सरल बनाने, विलम्ब में कमी लाने के उद्देश्य के अनुसरण में एमईआईएस आवेदनों की प्रोसेसिंग से संबंधित प्रावधानों में तत्काल प्रभाव से निम्नानुसार संशोधन करते हैं:

क. प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 का मौजूदा पैरा 3.01 (ग):

यदि आवेदन ईडीआई पत्तनों के माध्यम से किए गए निर्यात के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तब क्षेत्रीय प्राधिकारी नीचे पैरा 3.01 (ज) के प्रावधानों के तहत दस्तावेजों को छोड़कर किसी अन्य दस्तावेज की वास्तविक रूप से माँग नहीं करेगा, अतः आरए के समक्ष निम्नलिखित दस्तावेजों की हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगीः जैसे, डीजीएफटी को आवेदन-पत्रों की हार्ड प्रति, ईडीआई पोतलदान बिल, इलेक्ट्रॉनिक बैंक प्राप्ति प्रमाण-पत्र (ई-बीआरसी) और आरसीएमसी। आवेदक को एचबीपी के पैरा 3.03 के तहत निर्धारित तरीके से उतराई का प्रमाण सौंपना होगा।

प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 का संशोधित पैरा 3.01 (ग):

यदि आवेदन **एसईजेड से किए गए निर्यात** सहित ईडीआई पत्तनों के माध्यम से किए गए निर्यात के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तब क्षेत्रीय प्राधिकारी नीचे पैरा 3.01 (ज) के प्रावधानों के तहत दस्तावेजों को छोड़कर किसी अन्य दस्तावेज की वास्तविक रूप से माँग नहीं करेगा, अतः आरए को निम्नलिखित दस्तावेजों की हार्ड कॉपी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगीः जैसे, डीजीएफटी को आवेदन-पत्रों की हार्ड प्रति, ईडीआई/**एसईजेड** पोतलदान बिल, इलेक्ट्रॉनिक बैंक प्राप्ति प्रमाण-पत्र (ई-बीआरसी) और आरसीएमसी। आवेदक को एचबीपी के पैरा 3.03 के तहत निर्धारित तरीके से उतराई का प्रमाण सौंपना होगा।

ख. प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 का मौजूदा पैरा 3.01 (घ):

यदि गैर ईडीआई पत्तनों के माध्यम से किए गए निर्यात के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तब आवेदक को गैर–ईडीआई पोतलदान बिलों की निर्यात संवर्धन प्रति सौंपनी होगी। आवेदक को एचबीपी के पैरा 3.03 के तहत निर्धारित तरीके से उतराई का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। आवेदक जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, स्क्रिप का दावा करने के लिए निर्धारित किन्ही अन्य दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रति अपलोड करेंगे। तथापि, आवेदक को इस मामले में भी डीजीएफटी को आवेदनों, इलैक्ट्रॉनिक बैंक प्राप्ति प्रमाण-पत्र (ई–बीआरसी) और आरसीएमसी की हार्ड प्रति सौंपने की आवश्यकता नहीं होगी।

प्रक्रिया पुस्तक 2015–20 का संशोधित पैरा 3.01 (घ):

यदि गैर ईडीआई पत्तनों **(एसईजेड से भिन्न)** के माध्यम से किए गए निर्यात के लिए आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाता है तब आवेदक को गैर–ईडीआई पोतलदान बिलों की निर्यात संवर्धन प्रति सौंपनी होगी। आवेदक को एचबीपी के पैरा 3.03 के तहत निर्धारित तरीके से उतराई का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। आवेदक जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो, स्क्रिप का दावा करने के लिए निर्धारित किन्ही अन्य दस्तावेजों की स्कैन की हुई प्रति अपलोड करेंगे। तथापि, आवेदक को इस मामले में भी डीजीएफटी को आवेदनों, इलैक्ट्रॉनिक बैंक प्राप्ति प्रमाण-पत्र (ई–बीआरसी) और आरसीएमसी की हार्ड प्रति सौंपने की आवश्यकता नहीं होगी।

<u>इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव:</u> एसईजेड से किए गए निर्यात हेतु एमईआईएस आवेदन की प्रोसेसिंग को उपर्युक्त परिवर्तनों के माध्यम से सरल बनाया गया है। अब से आगे एमईआईएस के तहत लाभ का दावा करने हेतु एसईजेड पोतलदान बिलों की वास्तविक प्रति प्रस्तुत किए जाने की आवश्यकता नहीं है।

(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार
ई–मेल: dgft@nic.in

[फा० सं० 01/61/180/28/एएम–18/पीसी–3 से जारी]